पत्रांक–2/कोर्ट–01/2022–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक / /2025

विषय : डा० रविकान्त पाण्डेय, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, भागलपुर के पेंशन/उपदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक–17–164, दिनांक–18.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि डा० रविकान्त पाण्डेय, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, भागलपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सचालित रहने के कारण विभागीय पत्राक–565(2), दिनाक–04.05.2022 द्वारा इन्हें 90% औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्त्तमान में विभागीय अधिसूचना सख्या–544(9) दिनांक–27 05 2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा डा० पाण्डेय के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए उनके पेंशन से सेवानिवृत्ति की तिथि से 20% (बीस प्रतिशत) पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौती करने की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया है।

2. अतः डा० रविकान्त पाण्डेय, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, भागलपुर को पूर्ण पेशन स्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना स०–544(9), दिनाक–27 05. 2025 के आलोक में पूर्ण पेंशन से सेवानिवृत्ति की तिथि से 20% (बीस प्रतिशत) पेंशन की स्थायी रूप से कटौती करने की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही डा० पाण्डेय का पूर्ण उपदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. अनुरोध है कि सभी प्रकार की बकाया के संबध में पूर्णत. संतुष्ट होने के उपरान्त डा० पाण्डेय की पूर्ण पेशन से सेवानिवृत्ति की तिथि (दिनांक–30.06 2021) से 20% (बीस प्रतिशत) पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौती करते हुए पेंशन एवं पूर्ण उपदान का प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह0/–
(शैलेश कुमार)

ज्ञापांक–2/कोर्ट–01/2022– 1347(2) पटना, दिनांक 31/7/2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/अधीक्षक, सदर अस्पताल, भागलपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/डा० रविकान्त पाण्डेय, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, भागलपुर पत्राचार का पता–सी०सी० मुखर्जी रोड, आदमपुर, भागलपुर, पो०+थाना–आदमपुर, जिला–भागलपुर, पिनकोड–812001 /प्रशाखा पदाधिकारी–03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

D>Sec 2>2025>PEN 2025